

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

जज सीन अधिकारी-

घनश्याम शर्मा,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

09/अपील/2021

20.04.2021

09.07.2024

1. सरताज अली आ. अनवर अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. शरीफ मोहम्मद आ. अनवर अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

-अपीलान्ट्स

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

-रेस्पोजेन्ड

उपस्थित-

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से - श्री शम्भूदयाल शर्मा एड.
रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट्स को भूमि खसरा संख्या 1590 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1616 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 1869 रकबा 1 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा किस्म सिवायचक भूमि ग्राम कालाभाटा का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 5.75 रुपये का 50 गुणा 288 रुपये शास्ति तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कालाभाटा की सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1590 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1616 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 1869 रकबा 1 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा पर नाजायज अतिक्रमण व खसरा संख्या 1616 पर कमरा व बाउन्डरी बनाने का आरोप लगा कर अतिक्रमण संबंधित रिपोर्ट हल्का पटवारी अलोद द्वारा नायब तहसीलदार दबलाना के समक्ष पेश की जिस पर नायब तहसीलदार दबलाना ने अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण संख्या 383/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामिल कराये बिना अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये हल्का पटवारी की साक्ष्य लेकर ही अधीनस्थ न्यायालय ने

निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स की गिरफ्तारी के वारन्ट जारी कर दिये जिसकी दिनांक 04.04.2021 को पुलिस थाना दबलाना का सिपाही अपीलान्ट्स के घर अपीलान्ट्स को गिरफ्तार करने आया और अपीलान्ट्स नहीं मिलने पर सिपाही द्वारा घर पर वारन्ट जारी होने की जानकारी दी। इसके बाद अपीलान्ट्स अगले दिनांक 05.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी की तो जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के पक्ष को सुने बिना ही दिनांक 14.08.2020 को ही निर्णय कर अपीलान्ट को 90 दिवस का सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कर बेदखली के आदेश दे दिये। अपीलान्धीन आदेश दोषपूर्ण हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर अतिचार किया है। वह बार-बार अतिचार करने का आदि है, जिसे पूर्व में बेदखल किया जा चुका था। अपीलार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्धीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा संख्या 1590 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1616 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 1869 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा किस्म सिवायचक भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित हैं। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिचार किया था, जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्ट बार-बार भूमि पर अतिचार करने का आदि है, किन्तु फिर भी अपीलान्ट के प्रति न्यायहित तथा प्रस्तुत न्यायिकदृष्टांत को दृष्टिगत रखकर नरमी का रूख अपनाते हुए आदेश दिये जाते हैं कि यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से भौतिक रूप से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलान्धीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलान्धीन आदेश, बेदखली एवं शास्ति यथावत् रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
(घनश्याम शर्मा)
अति. जिला कलक्टर,
बून्दी